

शासन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी की चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2023 को उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सहि (सेना.) की स्वीकृति के बाद शासन ने राज्य में औद्योगिक नविश बढ़ाने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति में राज्य सरकार ने परवर्ती क्शेत्रों में नए उद्योगों में नविश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी में बढ़ोतरी की है।
- नीतिके अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व दवियांगों को नए उद्योगों में नविश करने पर सरकार पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
- इसके अलावा परवर्ती क्शेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिये मंडी शुल्क में पाँच साल तक 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- पहाड़ों में नविश करने पर 50 लाख से चार करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्शेत्रों में अधिकतम सब्सिडी 1.50 करोड़ होगी।
- नीति में महिलाओं, एससीएसटी, दवियांगों के स्वामित्व वाले उद्योगों को पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इन्हें सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग के लिये पाँच लाख, लघु श्रेणी के लिये 10 लाख और मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिये 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
- नीति में चहिनति ए और बी श्रेणी के क्शेत्रों में कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को पाँच साल तक मंडी शुल्क में प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ट्रेड मार्क, क्वालिटी मार्कगि, पेटेंट कराने के लिये अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- उद्योगों को दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन के लिये राज्य व ज़िला स्तर पर प्राधिकृत कमेटी गठित की जाएगी। इसमें राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष उद्योग महानदिशक होंगे। ज़िला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष संबंधित ज़िलाधिकारी होंगे।
- इसके अलावा शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समितिका गठन कया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उद्योग सचिव होंगे।

